न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12016 निगरानी 4197-II/16

१- गनपत आ० बिहारी कुशवाह उम्र ५० वर्ष
२- मन्नू आ० बिहारी कुशवाह
३- मंगल आ० गनपत कुशवाह
४- सेमराज आ० गनपत
५- हनुमंत आ० गनपत
६- रमेश आ० मन्नूलाल कुशवाह
७- मानसिंह आ० मन्नूलाल कुशवाह
समस्त निवासीगण ग्राम श्योपुरा, पटवारी हल्का चिन्नौद, थाना व तेहसील करैरा, जिला शिवपुरी -म०प्र० ।

---------- प्राथीगण

विरुध्द

१- वीर सिंह परिहार आ० लटकू,
२- बिन्दा परिहार आ० लटकू,
३- दिनेश परिहार आ० सिरनाम,
४- सेमराज परिहार आ० सिरनाम
५- गोवर्धन परिहार आ० सिरनाम,
६- मानसिंह परिहार आ० सिरनाम,
७- लखन सिंह परिहार आ० रामा,
८- शिवचरण परिहार आ० रामा,
९- सुधर सिंह परिहार आ० मथरे प्रसाद,
१०- बलवीर परिहार आ० मथरे प्रसाद,
११- नंदकिशोर परिहार आ० मथरे प्रसाद,
१२- राजेश परिहार आ० मथरे प्रसाद,
समस्त निवासी ग्राम श्योपुरा, पटवारी हल्का - चिन्नौद थाना व तेहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म०प्र०)

----- प्रतिप्रार्थीगण

श्री एस० के० अवस्थी, अभि० द्वारा आज दि. 13-12-16 को प्रस्तुत 13-12-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

749
13/12/16

क्रमशः --२

निगरानी विरुध्द आदेश तहसीलदार महोदय करैरा, जिला-शिवपुरी, दिनांक २३-११-९६, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्र० ६०(अ-७०)।९५-९६ ।

श्रीमान जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, तहसीलदार महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, तहसीलदार महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, प्रकरण में धारा २५० भू-राजस्व संहिता के आवश्यक तत्व व उपलब्ध नहीं है और न प्रमाणित ही किये गये हैं, ऐसी स्थिति में पारित विवादित आज्ञा निरस्ती योग्य है ।

४- यह कि, प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उत्तर में जिन आपत्तियों का उल्लेख किया गया है, उन आपत्तियों पर कोई विचार ही नहीं किया गया है ।

५- यह कि, राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी महोदय के प्रतिवेदन को सहीमानना तथ्यों एंव वास्तविकता से विपरीत होने से पारित विवादित आदेश निरस्ती योग्य है ।

६- यह कि, प्रकरण में न तो अवैध कब्जा का दिनांक ही प्रमाणित किया गया है और न विधिवत जांच ही की गई है, ऐसी स्थिति में पारित आदेश निरस्ती योग्य है ।

७- यह कि, विवादित आदेश, आदेश की परिभाषा में नहीं आता है वह स्वयं बोलता हुआ आदेश न होने से निरस्ती योग्य है ।

८- यह कि, पारित विवादित आज्ञा मात्र अनुमानों पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है ।

९- यह कि, अवैध कब्जा माने जाने का कोई आधार विवादित

क्रमश:---३

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–4197–दो / 2016 जिला–शिवपुरी

गनपत आदि विरूद्ध वीरसिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषक के हस्ताक्षर
17–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार करैरा, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 60 / अ–70 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–08–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 6/19 सदस्य	